

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय श्रापः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सेंटिकल सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा सार्वीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4031-LUTAWAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, रीगुलेशन विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इली० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अत्यन्तित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध इति-कोई वाद

दापर किया जाता है तथा दापर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख भूमि-भवन, कर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औद्योगिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निपटानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ०आर० खान)

सचिव

पू०सं०. प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, LUTAWAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT





(एफ०आर० खान)

सचिव

कार्यालय

राजिव प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2021/15637

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय कार्य:

अतिरिक्त सहायक राजनीति शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली का उचित अंश इतिहास, नई दिल्ली द्वारा सैकिक संख्या 2021-22 हेतु विद्यालय कार्योप लखनऊ की शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से प्राविप शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता सम्बद्धता विद्यालय प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक-सत्र (पूर्व) बैठक में समिति द्वारा संख्या 2021-22 हेतु अतिरिक्त नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व से कार्यालय संस्थाओं को सम्बद्धता विद्यालय पाठ्यक्रम प्रवेश क्रमांक सुट्टी सत्रों अन्य सत्रों पर विचार करने हुए संख्या 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विद्यालय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेक एवं निर्णय के अनुक्रम में निरा संस्था की प्राविप शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संख्या द्वारा संख्या 2021-22 हेतु निर्धारित सत्रों के अर्थात् पाठ्यक्रम एवं उचित अंश प्रवेश क्रमांक हेतु सम्बद्धता विद्यालय प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4031-LUTAWAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एनआईटी/सीपीटीआई/पीसीआई/आईटी द्वारा संख्या 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा संख्या 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु सत्र

- ✓ संस्था एनआईटी/सीपीटीआई/पीसीआई/आईटी द्वारा निर्धारित की गयी सभी सत्रों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविप शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविप शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, संविदा विनियमकारी-2019 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क-सूची (सभी इकाई) पाठ्यक्रमों हेतु संख्या 30/160/00- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु संख्या 45/000/00- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु संख्या 32/500/00- प्रतिवर्ष शुल्क ही इत्येक-सम्बद्धता से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त सत्र/सत्रावली में शुल्क के सम्बन्ध में संस्था-समय पर सफल द्वारा निर्णय किये जाने वाले साक्षात्कार प्रणाली होगी, और तदनुसार कार्यालयी कियत अन्तः-अनुसूचक होगा। उचित निर्धारण समिति द्वारा सत्र संख्या 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है। उक्त-सत्रों की नवीन-समय-दो सत्र होगी।
- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविप शिक्षा समिति/सत्र एवं उप-समिति/सत्र संस्थाओं की सम्बद्धता कियत करने/विनियमकारी-2019 को सत्रों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूचक प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अतिरिक्त सत्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सत्रों के रिजल्ट होने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यालयी की कार्यवाही होगी।

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक 15-9-2020

-> कार्यालय ज्ञाप->

अखिल भारतीय सामूहिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मरी कानून्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सत्र 2020-21 हेतु हिजोभा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्याय प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पद-15 में हिजोभा इन इजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा यद्यन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाएं जिन्होंने सत्र 2020-21 हेतु संस्था में संचालित पूर्व पाठ्यक्रमों में कतिपय पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि करी किये जाने का अनुरोध किया गया है, को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन सत्र के अनुक्रम में परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये प्रास्तावक निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विन्मोचित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	ए०आई०सी०टी०ई०/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4811	कुल्लुन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, गाजीपुर।	गणित इंग्लिश इंजीनियरिंग इंग्लिश कैम्ब्रिज इंग्लिश	100 100 100	100 100 100

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, संशोधित विनियमवली-2018 तथा अन्य विनियम विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक कार्मरी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक कार्मरी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर संचालन द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनादेश प्रकटी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, से फीस की ग्योनांस दर लागू होंगी।
- ✓ संस्था को उ०प्र० प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार लागू विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित सत्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शर्तों के अतिरिक्त एत आने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार विरोध एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जायत आवश्यक होगा।

CM

Signature
Secretary, Primary Education Board,
Lucknow

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की सलाह यदि पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा दिनाम उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाय वायर किया जाता है तथा वायर वाय के संवा में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश विगत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयोग वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम अपेक्षित नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सुचनाएं जैसे, संस्था की ऐतिहासिक भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेसिंग टैकने के सम्बन्ध में अस्तित्व आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने एवं हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-सूचना, पानीवर उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किया जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(आर आरकेओ गिर)
सचिव

पू0सं0- प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तद्दिनांक: 15-09-2020

प्रतिनिधि:-प्रधानाचार्य/निदेशक, कुलपति इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट, गान्धीपुर।

(आर आरकेओ गिर)
सचिव

Apk
Principal
Institution of Technology
& Management, Gandhinagar,
Ghaziabad-201007